रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰ 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 114] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 28, 2010/वैशाख 8, 1932
No. 114] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 28, 2010/VAISAKHA 8, 1932

## केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2010

**सं. एल-1(1)/2009-केंविविआ.**—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 79(1)(ग) के साथ पठित धारा 178 के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अननुसूचित विनिमय प्रभार तथा संबंधित विषय) विनियम, 2009 (जिसे इसे इसमें इसके पश्चात् "मूल विनियम" कहा गया है) का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :

### 1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :

(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अननुसूचित विनिमय प्रभार तथा संबंधित विषय) (संशोधन) विनियम, 2010 है।

(2) ये विनियम 3-5-2010 से प्रवृत्त होंगे ।

### 2. मूल विनियम के विनियम 2 का संशोधन

(i) खण्ड 1 के उप-खण्ड (ङ) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ङ) "विक्रेता" से फायदाग्राही के सिवाय ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो अल्पकालिक निर्बाध पहुंच, मध्य-कालिक निर्बाध पहुंच तथा दीर्घ-कालिक निर्बाध पहुंच के लिए लागू विनियमों के अनुसार अनुसूचित संव्यवहार के माध्यम से विद्युत क्रय करता है";

(ii) खण्ड 1 के उप खण्ड (ङ) के पश्चात्, एक नया उप-खण्ड (ङङ) अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

"(ङङ) इन विनियमों के संबंध में "गेमिंग" से उत्पादन केन्द्र या विक्रेता द्वारा यूआई प्रभारों के माध्यम से असम्यक् वाणिज्यिक लाभ कमाने के लिए घोषित क्षमता की जानबूझकर गलत घोषणा अभिप्रेत है।"

(iii) खण्ड 1 के उप-खण्ड (ड) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

(ञ) ''विक्रेता'' से उत्पादन केंद्र के सिवाय, ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो अल्प-कालिक निर्बाध पहुंच, मध्य-कालिक निर्बाध पहुंच तथा दीर्घ-कालिक पहुंच के लिए लागू विनियमों के अनुसार अनुसूचित संव्यवहार के माध्यम से विद्युत का प्रदाय करता है;''

(iv) खंड 1 के उपखंड (ढ) में, ''15 मिनट का ब्लाक'' शब्दों के स्थान पर, ''15 मिनट का समय-ब्लाक'' शब्द रखे जाएंगे।

3. **मूल विनियम के विनियम 4 का संशोधन :**

विनियम 4 के खंड (ii) में, निर्बाध पहुंच या मध्य-कालिक पहुंच'' शब्दों के स्थान पर, ''अल्प-कालिक निर्बाध पहुंच या मध्य-कालिक निर्बाध पहुंच'' शब्द रखे जाएंगे।

4. **मूल विनियम के विनियम 5 का संशोधन :**

मूल विनियम के विनियम 5 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

**''5. अननुसूचित विनिमय (यूआई) प्रभार :**

(1) सभी समय-ब्लाकों के लिए अननुसूचित विनिमय के लिए प्रभार विक्रेता या फायदाग्राही द्वारा अधिक निकासी तथा उत्पादन केंद्र या विक्रेता द्वारा कम अंतःक्षेपण तथा विक्रेता या फायदाग्राही द्वारा कम निकासी तथा उत्पादन केंद्र या क्रेता द्वारा अधिक अंतःक्षेपण के लिए संदेय होंगे तथा इस विनियम के खंड (2) में विनिर्दिष्ट पद्धति के अनुसार इन विनियमों की अनुसूची क में विनिर्दिष्ट दरों पर समय-ब्लाक की औसत फ्रिक्वेंसी पर तय किए जाएंगे :

परंतु यह कि ईंधन के रूप में प्रशासित कीमत तंत्र (एपीएम) के अधीन प्रदाय किए गए कोयला या लिग्नाइट या गैस का उपयोग करने वाले उत्पादन केंद्रों के लिए अननुसूचित विनिमय प्रभार, जब वास्तविक उत्पादन अधिक हो या अनुसूचित उत्पादन से कम हो, इस विनियम के खंड (3) में विनिर्दिष्ट पद्धति के अनुसार, इन विनियमों की अनुसूची क में यथा विनिर्दिष्ट कैप दर से अधिक नहीं होंगे :

परंतु यह और कि समय-ब्लाक में केंद्र की घोषित क्षमता का 105% से अधिक या संपूर्ण दिन औसत घोषित क्षमता के 101% से अधिक में हाइड्रो उत्पादन केंद्र से भिन्न उत्पादन केंद्र द्वारा अंतःक्षेपण के लिए अननुसूचित विनिमय हेतु प्रभार ''50.02 एचजेड से निम्न तथा 50.00 एचजेड से अनिम्न'' के ग्रिड फ्रिक्वेंसी अंतराल के तत्स्थानी अननुसूचित विनिमय के प्रभार से अधिक नहीं होंगे,

परंतु यह और कि अनुसूची के 10% से अधिक या 250 मेगावाट, जो भी कम हो, समय-ब्लाक में विक्रेता या फायदाग्राहियों [illegible] के लिए अननुसूचित विनिमय हेतु प्रभार इस विनियम के खंड (4) में विनिर्दिष्ट [illegible] के अनुसार इन विनियमो की अनुसूची "क" में यथा विनिर्दिष्ट कैप दर से अधिक नहीं होगा।

परंतु यह भी कि अनुसूची के 120% से अधिक क्रेता द्वारा अंतःक्षेपण के लिए अननुसूचित विनिमय के लिए प्रभार, समय-ब्लाक में संस्थापित क्षमता के 105% की तत्स्थानी एक्स- बस उत्पादन की सीमा या संपूर्ण दिन की संस्थापित क्षमता के 101% के अधीन रहते हुए, इस विनियम के खंड (5) में विनिर्दिष्ट पद्धति के अनुसार इन विनियमों की अनुसूची क में यथा विनिर्दिष्ट कैप दर से अधिक नहीं होंगे।

परंतु यह भी कि समय-ब्लाक में केंद्र की संस्थापित क्षमता के 105% की तत्स्थानी एक्स-बस उत्पादन या संपूर्ण दिन संस्थापित क्षमता 101% से अधिक क्रेता द्वारा अंतःक्षेपण के लिए अननुसूचित विनिमय के लिए प्रभार '50.02 एचजेड से निम्न तथा 50.0 एचजेड से अनिम्न' की ग्रिड फ्रिक्वेंसी अंतराल की तत्स्थानी अननुसूचित विनिमय के प्रभारों से अधिक नहीं होंगे।

(2) अननुसूचित विनिमय के लिए प्रभारों का अवधारण निम्नलिखित पद्धति के अनुसार किया जाएगा, --

(क) अननुसूचित विनिमय के लिए प्रभार 50.2 एचजेड तथा उससे ऊपर की ग्रिड फ्रिक्वेंसी पर शून्य होंगे।

(ख) 50.02 एचजेड से निम्न तथा 50.0 एचजेड से अनिम्न की ग्रिड फ्रिक्वेंसी अंतराल की तत्स्थानी अननुसूचित विनिमय के लिए प्रभार अगस्त, 2009 से जनवरी, 2010 की छह मास की अवधि के लिए कोयला/लिग्नाइट आधारित उत्पादन केंद्रों की औसत ऊर्जा प्रभार के विचलन मूल्य पर आधारित होंगे तथा यूआई कीमत विक्टर पर विनिश्चिय के लिए समुचित रूप से समायोजित किए जाएंगे।

(ग) तद्नुसार, यूआई कीमत विक्टर 50.2 एचजेड से 50.0 एचजेड के बीच 0.02 एचजेड के फ्रिक्वेंसी अंतरालों के लिए स्टेप में होगा।

(घ) 49.70 एचजेड से निम्न तथा 49.68 एचजेड से अनिम्न की ग्रिड फ्रिक्वेंसी अंतरालों में अननुसूचित विनिमय के लिए प्रभार ऐसे होंगे जिससे वे नियत तथा ऊर्जा प्रभार को पूरा करने के पश्चात ग्रिड की सहायता के लिए कोयला आधारित उत्पादन केंद्र, जिसमें आयातित कोयला भी है, को पर्याप्त प्रोत्साहन [illegible]

(ङ) तद्नुसार, यूआई कीमत विक्टर 50.0 एचजेड से 49.70 एचजेड के बीच 0.02 एचजेड की फ्रिक्वेंसी अंतराल के लिए स्टेप में होगा।

(च) 49.5 एचजेड में निम्न ग्रिड फ्रिक्वेंसी पर अननुसूचित विनिमय प्रभार अगस्त, 2009 से जनवरी, 2010 की छह मास की अवधि के लिए उत्पादन केंद्रों की औसत ऊर्जा प्रभारों की उच्चतर दर पर आधारित होंगे तथा यूआई कीमत विक्टर पर विनिश्चय के लिए आगे के लिए समुचित रूप से समायोजित किए जाएंगे।

(छ) यूआई विक्टर 49.70 एचजेड से निम्न तथा 49.68 एचजेड के अनिम्न की ग्रिड फ्रिक्वेंसी अंतराल में अननुसूचित विनिमय के लिए प्रभार या 49.50 एचजेड से निम्न ग्रिड फ्रिक्वेंसी अंतराल में अननुसूचित विनिमय के लिए प्रभार की तत्स्थानी 49.70 एचजेड से 49.50 एचजेड के बीच 0.02 एचजेड की फ्रिक्वेंसी अंतराल के लिए स्टेप में होगा।

(3) ईंधन के रूप में प्रशासित कीमत तंत्र (एपीएम) के अधीन प्रदाय किए गए कोयले या लिग्नाइट या गैस का उपयोग करने वाले उत्पादन केंद्रों के लिए अननुसूचित विनिमय के लिए प्रभारों हेतु कैप दर वहीं होगी जो इन विनियमों की अनुसूची ''क'' में यथाविनिर्दिष्ट 49.70 से निम्न तथा 49.68 से अनिम्न के ग्रिड फ्रिक्वेंसी अंतराल की तत्स्थानी अननुसूचित विनिमय के प्रभारों के लिए है।

(4) अनुसूची के 10% से अधिक या 250 मेगावाट, जो भी कम हो, विक्रेता या फायदाग्राहियों द्वारा कम निकासी के लिए अननुसूचित विनिमय के लिए कैप दर वही होगी जो इन विनियमों की अनुसूची ''क'' में यथाविनिर्दिष्ट 49.70 एचजेड से निम्न तथा 49.68 एचजेड से अनिम्न की ग्रिड फ्रिक्वेंसी अंतराल की तत्स्थानी अननुसूचित विनिमय के प्रभारों के लिए है।'

(5) समय-ब्लाक में केंद्र की संस्थापित क्षमता के 105% या संपूर्ण उन संस्थापित क्षमता के 101% की तत्स्थानी एक्स-बस उत्पादन की सीमा के अधीन रहते हुए, अनुसूची के 120% से अधिक क्रेता द्वारा अंतःक्षेपण के लिए अननुसूचित विनिमय हेतु कैप दर वही होगी जो इन विनियमों की अनुसूची ''क'' में यथाविनिर्दिष्ट 49.70 एचजेड से निम्न तथा 49.68 एचजेड से अनिम्न के ग्रिड फ्रिक्वेंसी अंतराल की तत्स्थानी अननुसूचित विनिमय के प्रभारों के लिए है।

(6) 49.5 एचजेड और उससे निम्न की ग्रिड फ्रिक्वेंसी पर, 50.02 एचजेड से निम्न तथा 50.5 एचजेड से अनिम्न की ग्रिड फ्रिक्वेंसी अंतरालों पर तथा 49.70 एचजेड से निम्न तथा 49.68 एचजेड से अनिम्न के ग्रिड के प्रतिस्पर्धा बोली मार्गदर्शक सिद्धांतों के अधीन, आयोग द्वारा सुसंगत वृद्धि सूची के आधार पर प्रत्येक छह मास में अधिसूचित किया जाएगा और इन विनियमों की अनुसूची ''क'' तद्नुसार पुनः अधिसूचित की जाएगी।

**6. मूल विनियम के विनियम 6 का संशोधन :**

(i) विनियम 6 के खंड (2) परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु यह कि प्रचालन के दिन को उत्पादन अनुसूची में पुनरीक्षण, यथास्थिति, ग्रिड कोड तथा केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) विनियम, 2008 के अधीन विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार अनुज्ञात किया जाएगा।"

(ii) विनियम 6 के खंड (3) तथा (4) का लोप किया जाएगा।

(iii) विनियम 6 के खंड (5) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् : -

"(5) ग्रिड फ्रिक्वेंसी में परिवर्तनों तथा प्रवाह उतार-चढ़ाव के प्रत्युत्तर में, हाइड्रो उत्पादन केंद्र दी गई अनुसूची में ग्रिड अवरोधों के बिना परिवर्तन करने के लिए स्वतंत्र होंगे तथा संपूर्ण दिन के लिए प्रदाय की वास्तविक कुल ऊर्जा तथा अनुसूचित ऊर्जा (एक्स-बस) के बीच अंतर के लिए प्रतिकर संबंधित प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र द्वारा चौथे दिन (दिन प्लस 3) की आगे के दिन की अनुसूची में से दिया जाएगा।"

(iv) विनियम 6 में एक नया खंड (6) अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"आयोग गेमिंग के आरोप पर, उत्पादन कंपनी या विक्रेता के विरूद्ध स्वप्रेरणा से या आरएलडीसी द्वारा फाइल की गई याचिका पर कार्यवाही आरंभ कर सकेगा तथा यदि अपेक्षित हो, ऐसी जांच का आदेश दे सकेगा जो आयोग द्वारा विनिश्चय किया जाए। जब उपरोक्त जांच में गेमिंग का आरोप साबित हो जाता है तो आयोग अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए विनियमों के अधीन किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी गेमिंग की अवधि के दौरान ऐसी उत्पादन कंपनी या क्रेता द्वारा प्राप्त किसी भी अननुसूचित विनिमय को अनुज्ञात नहीं करेगा।"

**7. मूल विनियम के विनियम 7 का संशोधन :**

विनियम 7 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

**"7. यूआई मात्रा पर सीमा तथा सीमा का अतिक्रमण करने के परिणाम :**

(1) किसी समय-ब्लाक के दौरान जब फ्रिक्वेंसी 49.7 एचजेड से कम हो किसी फायदाग्राही या विक्रेता द्वारा विद्युत की अधिक निकासी उसकी अनुसूचित निकासी के 12% या 150 मेगावाट, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी, तथा जब

फ्रिक्वेंसी 49.7 एचजेड से कम हो, सभी समय-ब्लाकों के लिए दैनिक कुल आधार पर 3% से अधिक नहीं होगी।

**स्पष्टीकरण :** इस खंड में विनिर्दिष्ट सीमाएं राज्य में अंतःराज्यिक इकाइयों, जिसमें वितरण कंपनियां भी हैं, तथा अन्य अंतःराज्यिक विक्रेताओं द्वारा अधिक निकासी की कुल राशि को लागू होंगी तथा अपने-अपने राज्य की अंतर-राज्यिक सीमा को लागू होंगी।

(2) किसी समय-ब्लाक के दौरान उत्पादन केंद्र या क्रेता द्वारा विद्युत का कम अंतःक्षेपण जब फ्रिक्वेंसी 49.7 एचजेड से कम हो, ऐसे उत्पादन केंद्र या क्रेता के अनुसूचित अंतःक्षेपण के 12% से अधिक नहीं होगा तथा सभी समय-ब्लाकों के लिए, जब फ्रिक्वेंसी 49.7 एचजेड से कम हो, दैनिक कुल आधार पर 3% से अधिक नहीं होगा।

(3) इन विनियमों के विनियम 5 के अधीन यथा अनुबद्ध 49.5 एचजेड की फ्रिक्वेंसी की तत्स्थानी अननुसूचित विनिमय प्रभारों के अतिरिक्त, अतिरिक्त अननुसूचित विनिमय प्रभार इस विनियम में खंड (3क) में विनिर्दिष्ट पद्धति के अनुसार इन विनियमों की अनुसूची क में विनिर्दिष्ट दरों पर, जब ग्रिड फ्रिक्वेंसी 49.5 एचजेड से कम हो, प्रत्येक समय-ब्लाक के लिए विद्युत की अधिक निकासी या कम अंतःक्षेपण के लिए लागू होंगे :

परंतु यह कि किसी ऐसे समय-ब्लाक के दौरान, जब ग्रिड फ्रिक्वेंसी 49.5 एचजेड से कम हो, ईंधन के रूप में प्रशासित कीमत तंत्र (एपीएम) के अधीन प्रदाय किए गए कोयले या लिग्नाइट या गैस का उपयोग करने वाले उत्पादन केंद्रों द्वारा विद्युत के कम अंतःक्षेपण के लिए अतिरिक्त अननुसूचित विनिमय प्रभार इस विनियम के खंड (3ख) में विनिर्दिष्ट पद्धति के अनुसार, इन विनियमों की अनुसूची क में विनिर्दिष्ट दर पर होंगे।

**स्पष्टीकरण :** अतिरिक्त अनुसूचित विनिमय प्रभार, जब ग्रिड फ्रिक्वेंसी 49.5 एचजेड से कम हो, अन्य क्षेत्रों से संपूर्ण रूप से किसी क्षेत्र द्वारा कुल अधिक निकासी को लागू नहीं होंगे।

(3क) प्रत्येक समय-ब्लाक के लिए, जब ग्रिड फ्रिक्वेंसी 49.5 एचजेड से कम हो, विद्युत की अधिक निकासी तथा कम अंतःक्षेपण के लिए अतिरिक्त अनुसूचित विनिमय प्रभारों को ग्रिड अनुशासन के लिए विक्रेता तथा फायदाग्राहियों तथा क्रेता और उत्पादन केंद्रों के आचरण पर समग्र रूप से विचार करते हुए, 49.5 एचजेड से निम्न ग्रिड फ्रिक्वेंसी में अननुसूचित विनिमय के प्रभारों की प्रतिशतता के रूप में आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

परंतु यह कि आयोग अधिक निकासी तथा कम अंतःक्षेपण के लिए तथा 49.5 एचजेड से निम्न विभिन्न फ्रिक्वेंसी पर विभिन्न अतिरिक्त अननुसूचित विनिमय प्रभार विनिर्दिष्ट कर सकेगा।

(3ख) ईंधन के रूप में प्रशासित कीमत तंत्र (एपीएम) के अधीन प्रदाय किए गए कोयले या लिग्नाइट या गैस का उपयोग करने वाले उत्पादन केंद्र द्वारा ऐसे समय-ब्लाक के दौरान, जब ग्रिड फ्रिक्वेंसी 49.5 एचजेड से कम हो, विद्युत के कम अंतःक्षेपण के लिए अतिरिक्त अननुसूचित विनिमय प्रभार ग्रिड अनुशासन के संबंध में उत्पादन केंद्र के आचरण पर सम्यक् रूप से विचार करते हुए, कैप दर की प्रतिशतता के रूप में आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

परंतु यह कि आयोग कम अंतःक्षेपण तथा 49.5 एचजेड से निम्न विभिन्न फ्रिक्वेंसी पर विभिन्न अतिरिक्त अननुसूचित विनिमय प्रभार विनिर्दिष्ट कर सकेगा।

(4) विनियम 5 के अधीन अननुसूचित विनिमय प्रभारों का संदाय तथा उपरोक्त विनियम 7(3) के अधीन अतिरिक्त अननुसूचित विनिमय प्रभार किसी ऐसी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उद्गृहीत किए जाएंगे जो प्रत्येक ऐसे समय-ब्लाक के लिए, जब ग्रिड फ्रिक्वेंसी 49.7 एचजेड से कम हो, इन विनियमों में यथा विनिर्दिष्ट अधिक निकासी या कम अंतःक्षेपण के उल्लंघन के लिए अधिनियम की धारा 142 के अधीन समुचित समझी जाए।

(5) आयोग, यदि उचित समझे, प्रत्येक समय-ब्लाक के दौरान जब ग्रिड फ्रिक्वेंसी 49.7 एचजेड से कम हो तथा 49.5 एचजेड तक हो, विद्युत की अधिक निकासी या कम अंतःक्षेपण के लिए समय-समय पर, अतिरिक्त अननुसूचित विनिमय प्रभार विहित कर सकेगा।

(6) विद्युत की अधिक निकासी/कम अंतःक्षेपण और कम निकासी तथा अधिक अंतःक्षेपण के लिए प्रभारों की संगणना अपनी-अपनी प्रादेशिक ऊर्जा समिति के सचिवालय द्वारा "प्रादेशिक ऊर्जा लेखा" की तैयारी के लिए प्रयुक्त पद्धति के अनुसार की जाएगी।

(7) प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र मासिक आधार पर, यूआई लेखाओं के अभिलेखों को तैयार करेगा तथा उन्हें अपनी वेबसाइट पर डालेगा जिसमें उन समय ब्लाकों, जिनमें ग्रिड फ्रिक्वेंसी 49.5 एचजेड थी तथा पृथक् रूप से 49.7 से 49.5 एचजेड के बीच थी, के लिए अधिक निकासी/कम अंतःक्षेपण की मात्रा तथा प्रत्येक फायदाग्राही के लिए संदत्त तथा उत्पादन केंद्र या क्रेता के लिए प्राप्त यूआई प्रभारों की तत्स्थानी रकम विनिर्दिष्ट होगी।

**3. मूल विनियम के विनियम 9 का संशोधन :**

मूल विनियम के विनियम 9 के स्थान पर, निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

**''9. अननुसूचित विनिमय प्रभार लेखांकन**

(1) इन विनियमों के अधीन उद्‌गृहीत अननुसूचित विनिमय प्रभार, जिसमें अतिरिक्त अननुसूचित विनिमय प्रभार भी है, का विवरण अपने-अपने प्रादेशिक ऊर्जा समिति (आरपीसी) के सचिवालय द्वारा साप्ताहिक आधार पर संबंधित आरएलडीसी द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों के आधार पर तैयार किया जाएगा तथा रविवार की मध्य रात्रि की समाप्ति को समाप्त होने वाली सात दिन की अवधि के लिए मंगलवार तक सभी संघटकों को जारी किया जाएगा।

(2) इन विनियमों के अधीन उद्‌गृहीत अननुसूचित विनिमय प्रभारों, जिसमें अतिरिक्त अननुसूचित विनिमय प्रभार भी हैं, तथा विलंब संदाय के लिए प्राप्त ब्याज, यदि कोई हो, के मद्धे सभी संदाय ''प्रादेशिक अननुसूचित विनिमय पूल खाता निधि'' नामक निधि में जमा किए जाएंगे, जिसे इन विनियमों के उपबंधों के अनुसार प्रत्येक क्षेत्र में संबंधित प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र द्वारा बनाए रखा जाएगा तथा प्रचालित किया जाएगा :

परंतु यह कि आयोग आदेश द्वारा अपने-अपने ''प्रादेशिक अननुसूचित विनियम पूल खाता निधि'' को प्रचालित करने तथा बनाए रखने के लिए किसी अन्य इकाई को निदेश दे सकेगा :

परंतु यह और कि अपने-अपने प्रादेशिक ऊर्जा समिति के सचिवालय द्वारा अननुसूचित विनिमय प्रभारों तथा अतिरिक्त अननुसूचित विनिमय प्रभारों के मूल घटक तथा ब्याज घटक के लिए पृथक् लेखा बहियां बनाए रखी जाएंगी।

(3) प्रत्येक क्षेत्र के ''प्रादेशिक अननुसूचित विनिमय पूल निधि खाते'' में प्राप्त सभी संदायों को निम्नलिखित क्रम में विनियोजित किया जाएगा, अर्थात् :-

(क) पहले यूआई प्रभारों पर उपगत किसी लागत या खर्च या अन्य प्रभारों के लिए,
(ख) दूसरा अतिशोध्य या शास्ति ब्याज, यदि लागू हो,
(ग) अगला सामान्य ब्याज,
(घ) अंत में, यूआई तथा अतिरिक्त यूआई प्रभार।

**स्पष्टीकरण :** क्षेत्रीय इकाई से एकत्रित किसी भी अतिरिक्त यूआई प्रभार को उस संबंधित क्षेत्र, जहां क्षेत्रीय इकाई अवस्थित है, के 'प्रादेशिक अननुसूचित विनियम पूल खाता निधि' में रखा जाएगा।''

**9. मूल विनियमों के विनियम 10 का संशोधन :**

मूल विनियमों के विनियम 10 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

**''10. अननुसूचित विनिमय प्रभारों के संदाय की अनुसूची तथा संदाय प्रतिभूति :**

(1) यूआई प्रभारों के संदाय को उच्च पूर्विकता दी जाएगी तथा संबंधित संघटक अपने-अपने आरपीसी सचिवालय द्वारा अननुसूचित विनिमय प्रभारों, जिसमें अतिरिक्त अननुसूचित विनिमय प्रभार भी हैं, का विवरण जारी करने के 10 (दस) दिन के भीतर उपदर्शित रकम का संदाय संबंधित क्षेत्र के ''प्रादेशिक अननुसूचित विनिमय पूल खाता निधि'' में करेगा।

(2) यदि अननुसूचित विनिमय प्रभारों जिसमें अतिरिक्त अननुसूचित विनिमय प्रभार भी हैं, के संदाय में दो से अधिक दिन, अर्थात् अपने-अपने आरपीसी सचिवालय द्वारा विवरण जारी करने की तारीख से 12 (बारह) दिन के बाद, का विलंब किया जाता है तो व्यतिक्रमी संघटक को विलंब के प्रत्येक दिन के लिए 0.04% की दर से साधारण ब्याज का संदाय करना होगा।

(3) यूआई प्रभारों के मद्दे किसी रकम को प्राप्त करने के लिए हकदार इकाईयों को सभी संदाय संबंधित क्षेत्र के ''प्रादेशिक अननुसूचित विनिमय पूल खाता निधि'' में संदायों की प्राप्ति के दो कार्य दिवस के भीतर किए जाएंगे :

परंतु यह कि यदि यूआई प्रभारों के विवरण को जारी करने की तारीख से 12 दिन के बाद अपने-अपने प्रादेशिक यूआई पूल खाता निधि तथा उस पर ब्याज, यदि कोई हो, में यूआई संदाय में विलंब होता है तो प्रादेशिक इकाइयां, जिन्हें यूआई संदाय या उस पर ब्याज प्राप्त करना है, क्षेत्र के प्रादेशिक यूआई पूल खाता में उपलब्ध अतिशेष, यदि कोई हो, से जमा करेंगी। यदि उपलब्ध अतिशेष संघटकों को संदाय करने के लिए पर्याप्त नहीं है तो प्रादेशिक यूआई पूल खाता निधि से संदाय निधि में उपलब्ध अतिशेष से आनुपातिक आधार पर किया जाएगा।

परंतु यह और कि ''प्रादेशिक यूआई पूल खाता निधि'' को संदाय में विलंब के लिए संदेय ब्याज का दायित्व, इस तथ्य के होते हुए भी, ब्याज का संदाय न करने तक रहेगा कि उन संघटकों, जिन्हें संदाय प्राप्त करना है, ने भागतः या पूर्णतः ''प्रादेशिक यूआई पूल खाता'' से संदत्त किया है।

(4) ऐसी सभी इकाइयों, जिनको पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय अननुसूचित विनिमय प्रभारों का संदाय करना था, से संबंधित आरएलडीसी के पक्ष में पूर्व वित्तीय वर्ष में इन विनियमों के प्रवृत्त होने के पंद्रह दिन के भीतर अपनी औसत संदेय साप्ताहिक यूआई देयता के 110% के बराबर प्रत्ययपत्र (एलसी) खोलने की अपेक्षा की जाएगी :

परंतु यह कि यदि कोई क्षेत्रीय इकाई, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इन विनियमों में विनिर्दिष्ट किसी समय पर अननुसूचित विनिमय प्रभारों, जिसमें अतिरिक्त विनिमय प्रभार भी हैं, का संदाय करने में असफल रहती है तो उससे संदाय की देय तारीख से 15 दिन के भीतर अपने-अपने क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्र के पक्ष में साप्ताहिक बकाया देयता का 110% के बराबर प्रत्यय-पत्र खोलने की अपेक्षा की जाती है :

परंतु यह कि एलसी रकम में वर्ष के दौरान किसी सप्ताह में संदेय साप्ताहिक यूआई देयता के 110% तक की वृद्धि की जाएगी यदि यह पूर्व प्रत्यय-पत्र की रकम के 50% से अधिक है।

**दृष्टांत :** यदि वर्ष 2009-10 के दौरान क्षेत्रीय इकाई की औसत संदेय साप्ताहिक यूआई देयता 20 करोड़ रुपए है तो क्षेत्रीय इकाई 2010-11 में 22 करोड़ रुपए के लिए एलसी खोलेगी। यदि वर्ष 2010-11 में किसी सप्ताह के दौरान साप्ताहिक संदेय देयता 35 करोड़ रुपए है जो पूर्व वित्तीय वर्ष की औसत संदेय साप्ताहिक देयता के 50% से अधिक है तो, संबंधित क्षेत्रीय इकाई 13 करोड़ रुपए उसमें जमा करके एलसी की रकम को बढ़ाकर 35 करोड़ रुपए करेगी।

(5) यूआई प्रभारों के विवरण के जारी करने की तारीख से 12 दिन के विनिर्दिष्ट समय के भीतर "यूआई पूल खाता निधि" में संदाय करने में असफल रहने पर, आरएलडीसी व्यतिक्रम तक संबंधित संघटक की एलसी को भुनाने का हकदार होगा तथा संबंधित संघटक 3 दिन के भीतर एलसी रकम की क्षतिपूर्ति करेगा।

### 10. मूल विनियम के विनियम 11 का संशोधन

मूल विनियम के विनियम 11 के उपखंड (1) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

### ''11. यूआई के माध्यम से एकत्रित निधि का उपयोजन

(1) उत्पादन केंद्र तथा फायदाग्राहियों के अननुसूचित विनिमय प्रभारों के दावों का अंतिम निपटान करने के पश्चात यूआई पूल खाता निधि में शेष रकम को ऐसी पृथक निधि में अंतरित किया जाएगा जो आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए तथा उसका उपयोग निम्नलिखित गतिविधियों के लिए आयोग के पूर्व अनुमोदन से किया जाएगा :

(क) अनुकूल महत्व की पारेषण स्कीमों के लिए विनिधान की सर्विसिंग, परंतु यह कि केंद्रीय पारेषण उपयोगिता केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के परामर्श से ऐसी अनुकूल महत्व की अंतर-राज्यिक पारेषण स्कीमों, जिसका उपयोग बेहतर स्तर तक किया जा रहा हो, की पहचान करेगी तथा आरंभिक वर्षों के दौरान पूंजी लागत की सर्विसिंग के लिए आयोग का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगी। परंतु यह और कि जब ऐसी पारेषण लाइन या पारेषण प्रणाली, जिसमें अनुकूल महत्व की पारेषण स्कीमें भी हैं, का उपयोग, बेहतर ढंग से किया जाता है तो ऐसी स्कीम की लागत की वसूली आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट पद्धति के अनुसार स्कीम के उपयोक्ताओं से की जाएगी।

(ख) ग्रिड की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सहायक सेवाएं प्रदान करना जिसमें प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र द्वारा तैयार प्रक्रिया के अनुसार पहचानी गई निम्न ग्रिड फ्रिक्वेंसी के दौरान ''भार उत्पादन संतोलन'' सम्मिलित है किन्तु जो उस तक ही सीमित नहीं हैं।

(2) इस विनियम के खंड (1) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए आबंटन योग्य निधि की रकम का विनिश्चय आयोग द्वारा समय-समय पर किया जाएगा।''

## अनुसूची ''क''

### 1. अननुसूचित विनिमय (यूआई) प्रभार :

विनियम 5 के खंड (1) के अनुसार, विक्रेता या फायदाग्राही द्वारा अधिक निकसी के लिए और उत्पादन केंद्र या क्रेता द्वारा कम अंतःक्षेपण के लिए संदेय तथा विक्रेता या फायदाग्राही द्वारा कम निकासी तथा उत्पादन केंद्र या क्रेता द्वारा अधिक अंतःक्षेपण के लिए प्राप्य सभी समय-ब्लाकों के लिए अननुसूचित विनिमय की प्रभारों को नीच दी गई दर पर समय-ब्लाक की औसत फ्रिक्वेंसी पर तय किया जाएगा :-

| समय-ब्लाक की औसत फ्रिक्वेंसी (एचजेड) | | |
|---|---|---|
| निम्नलिखित से नीचे | निम्नलिखित से अनिम्न | यूआई दर (पैसा प्रति केडब्ल्यूएच) |
| | 50.20 | 0.00 |
| 50.20 | 50.18 | 15.50 |
| 50.18 | 50.16 | 31.00 |
| 50.16 | 50.14 | 46.50 |
| 50.14 | 50.12 | 62.00 |

| | | |
|---|---|---|
| 50.12 | 50.10 | 77.50 |
| 50.10 | 50.08 | 93.00 |
| 50.08 | 50.06 | 108.50 |
| 50.06 | 50.04 | 124.00 |
| 50.04 | 50.02 | 139.50 |
| 50.02 | 50.00 | 155.00 |
| 50.00 | 49.98 | 170.50 |
| 49.98 | 49.96 | 186.00 |
| 49.96 | 49.94 | 201.50 |
| 49.94 | 49.92 | 217.00 |
| 49.92 | 49.90 | 232.50 |
| 49.90 | 49.88 | 248.00 |
| 49.88 | 49.86 | 263.50 |
| 49.86 | 49.84 | 279.00 |
| 49.84 | 49.82 | 294.50 |
| 49.82 | 49.80 | 310.00 |
| 49.80 | 49.78 | 325.50 |
| 49.78 | 49.76 | 341.00 |
| 49.76 | 49.74 | 356.50 |
| 49.74 | 49.72 | 372.00 |
| 49.72 | 49.70 | 387.50 |
| 49.70 | 49.68 | 403.00 |
| 49.68 | 49.66 | 450.00 |
| 49.66 | 49.64 | 497.00 |
| 49.64 | 49.62 | 544.00 |
| 49.62 | 49.60 | 591.00 |
| 49.60 | 49.58 | 638.00 |
| 49.58 | 49.56 | 685.00 |
| 49.56 | 49.54 | 732.00 |
| 49.54 | 49.52 | 779.00 |
| 49.52 | 49.50 | 826.00 |
| 49.50 | | 873.00 |

(प्रत्येक 0.02 एचजेड स्टेप 50.2-49.7 एचजेड फ्रिक्वेंसी रेंज में 15.5 पैसा/केडब्ल्यूएच तथा 49.7-49.50 एचजेड फ्रिक्वेंसी रेंज में 47.0 पैसे/केडब्ल्यूएच के बराबर है)।

2. यूआई कैप दर :

(क) विनियम 5 के खंड (1) तथा (3) के अनुसार, ईंधन के रूप में प्रशासित कीमत तंत्र (एपीएम) के अधीन प्रदाय किए गए कोयला या लिग्नाइट या गैस का उपयोग करने वाले सभी उत्पादन केंद्रों के लिए 403.0 पैसे/केडब्ल्यूएच होगी यदि वास्तविक उत्पादन अनुसूचित उत्पादन से उच्चतर हो या कम हो।

(ख) विनियम 5 के खंड (1) तथा (4) के अनुसार, अनुसूची के 10% से अधिक या 250 मेगावाट, जो भी कम हो, विक्रेता या फायदाग्राहियों द्वारा कम निकासी के लिए यूआई कैप दर 403.0 पैसे/केडब्ल्यूएच होगी।

(ग) विनियम 5 के खंड (1) तथा (5) के अनुसार, अनुसूची के 120% से अधिक क्रेता द्वारा अंतःक्षेपण के लिए यूआई दर 403.0 पैसे/केडब्ल्यूएच होगी जो समय-ब्लाक में केंद्र की संस्थापित क्षमता के 105% तथा संपूर्ण दिन की संस्थापित क्षमता के 101% की तत्स्थानी एक्स-बस उत्पादन की सीमा के अधीन रहते हुए होगी।

**3. अतिरिक्त अननुसूचित विनिमय प्रभार :**

(क) विनियम 7 के खंड (3क) के अनुसार, प्रत्येक समय-ब्लाक, जब ग्रिड फ्रिक्वेंसी 49.5 एचजेड से कम हो तथा 49.2 एचजेड तक हो, के लिए विद्युत की अधिक निकासी के लिए अतिरिक्त अननुसूचित विनिमय प्रभार 49.5 एचजेड से निम्न की ग्रिड फ्रिक्वेंसी की तत्स्थानी 873.0 पैसे/केडब्ल्यूएच के अननुसूचित विनिमय प्रभार के 40% के समतुल्य होंगे। प्रत्येक ऐसे समय-ब्लाक के लिए, जब ग्रिड फ्रिक्वेंसी 49.5 एचजेड से कम हो तथा 49.2 एचजेड तक हो, के लिए विद्युत के कम अंतःक्षेपण हेतु अतिरिक्त अननुसूचित विनिमय प्रभार 49.5 एचजेड से निम्न की ग्रिड फ्रिक्वेंसी की तत्स्थानी 873.0 पैसे/केडब्ल्यूएच के अननुसूचित विनिमय प्रभार के 20% के समतुल्य होंगे :

परंतु यह कि प्रत्येक समय-ब्लाक, जब ग्रिड फ्रिक्वेंसी 49.2 एचजेड से कम हो, के लिए विद्युत की अधिक निकासी के लिए अतिरिक्त अननुसूचित विनिमय प्रभार 49.5 एचजेड की ग्रिड फ्रिक्वेंसी की तत्स्थानी 873.0 पैसे/केडब्ल्यूएच अननुसूचित विनिमय प्रभार के 100% के समतुल्य होगी। प्रत्येक ऐसे समय-ब्लाक, जब ग्रिड फ्रिक्वेंसी 49.2 एचजेड से कम हो, के लिए विद्युत के कम अंतःक्षेपण के अतिरिक्त अननुसूचित विनिमय प्रभार 49.5 एचजेड की ग्रिड फ्रिक्वेंसी की तत्स्थानी 873.0 पैसे/केडब्ल्यूएच के अननुसूचित विनिमय प्रभार के 40% के बराबर होगी।

(ख) विनियम 7 के खंड (3ख) के अनुसार, ईंधन के रूप में प्रशासित कीमत तंत्र (एपीएम) के अधीन प्रदाय किए गए कोयले या लिग्नाइट या गैस का उपयोग करने वाले उत्पादन केंद्रों के लिए, उस समय-ब्लाक के दौरान, जब ग्रिड फ्रिक्वेंसी 49.5 एचजेड से कम हो, विद्युत के कम अंतःक्षेपण के लिए अतिरिक्त अननुसूचित विनिमय प्रभार 403.0 पैसे/केडब्ल्यूएच की यूआई कैप दर के 20% के समतुल्य होंगे :

परंतु यह कि ईंधन के रूप में प्रशासित कीमत तंत्र (एपीएम) के अधीन प्रदाय किए गए कोयले या लिग्नाइट या गैस का उपयोग करने वाले उत्पादन केंद्रों के लिए

उस समय-ब्लाक, जब ग्रिड फ्रिक्वेंसी 49.2 एचजेड से कम हो, विद्युत के कम अंतःक्षेपण के लिए अतिरिक्त् अननुसूचित विनिमय प्रभार 403.0 पैसे/केडब्ल्यूएच की यूआई कैप दर के 40% के समतुल्य होंगे।

आलोक कुमार, सचिव

[विज्ञापन III/4/150/10-असा.]

**टिप्पणी :** मूल विनियम तारीख 30-3-2009 को भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग III, खण्ड 4 में प्रकाशित किए गए थे ।